प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-39/2016/501ई-2/तेरह-2016-74/2015

सेवा में,

शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 24 जून,2016

विषय:- वर्ष 2015-16 के लिये शीरा नीति का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-88/दस-185(1)/शीरा नीति/2015-16, दिनांक 09 नवम्बर,2015, पत्र संख्या-जी-121/दस-185(1)/शीरा नीति/2015-16, दिनांक 20 जनवरी,2016, पत्र संख्या-जी-124/दस-185(1)/शीरा नीति/2015-16, दिनांक 02 फरवरी,2016, पत्र संख्या-जी-01/दस-185(1)/शीरा नीति/2015-16, दिनांक 02 अप्रैल,2016, पत्र संख्या-जी-07/दस-185(1)/शीरा नीति/2015-16, दिनांक 04 मई,2016 तथा पत्र संख्या-जी-16/दस-185(1)/शीरा नीति/2015-16, दिनांक 23 मई,2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2015, दिनांक 20 जनवरी,2016, दिनांक 02 फरवरी,2016, 02 अप्रैल,2016, 04 मई,2016 तथा 23 मई,2016 में शीरा सत्र 2015-16 के लिये शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव, शीरा परामर्श समिति की बैठक दिनांक 31-10-2015 तथा दिनांक 15-3-2016 के कार्यवृत्त के अनुसार दिये गये सुझाव एवं प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27 मई,2016 को सम्पन्न बैठक में स्थिर किये गये मत के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2015-16 के लिये शीरा नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा शीरा वर्ष 2015-16 में उत्पादित शीरे का 25 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा तथा ऐसी चीनी मिलों, जिनकी प्रदेश में अपनी आसवनियां स्थापित हैं, में शीरा सत्र 2015-16 में उत्पादित शीरे की मात्रा पर आरक्षण निम्नवत् लागू किया जायेगा:-

जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षित (25 प्रतिशत के अनुसार) मात्रा से अधिक होगा, उन पर सिविल अपील संख्या-4466/2007 मे0र्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में

पारित आदेश दि0 24-9-2007 के प्रस्तर-47 के अन्तर्गत शीरा वर्ष के आरम्भ से ही पूर्ण आरक्षण लागू होगा क्योंकि इससे उनके स्वयं के उपभोग (शीरा वर्ष 2014-15 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) में कोई कमी नहीं होगी।

ii जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षण की मात्रा से कम होगा, उन पर सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के प्रस्तर-46 के अन्तर्गत आरक्षण शीरा सत्र के आरम्भ से लागू होगा तथा आरक्षण की मात्रा उपलब्ध अवशेष स्टाक की मात्रा तक सीमित रहेगी, जिससे उनके स्वयं के उपभोग में (शीरा वर्ष 2014-15 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) कमी नहीं होगी।

iii जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) नहीं होगा अर्थात् उनकी शीरे की कुल उपलब्धता से अधिक उनका स्वयं का शीरे का उपभोग (शीरा वर्ष 2014-15 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) है उन पर सिविल अपील संख्या 4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के प्रस्तर-46 के अन्तर्गत आरक्षण नहीं होगा।

<u>अवशेष स्टाक (Balance Stock) की अवधारणा:-</u>

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवशेष स्टाक (Balance Stock) को सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के पैरा-20 में स्पष्ट किया गया है, जो कि निम्नवत् है:-

"In our opinion, however, clause (3) applies only to excess stock of molasses, that is, molasses which is in excess of and not used for captive consumption by sugar factory and is thus balance stock."

अतः शीरा वर्ष 2015-16 के लिये अवशेष स्टाक (Balance Stock) = समूह की चीनी मिलों का शीरा सत्र 2015-16 का अनारक्षित प्रारम्भिक अवशेष + शीरा सत्र 2015-16 का उत्पादन - शीरा सत्र 2015-16 में स्वयं का उपभोग (शीरा वर्ष 2014-15 में स्वयं के दिनांक 31-10-2015 तक के स्वयं के उपभोग के समतुल्य)

(2) उपरोक्तानुसार आरक्षण प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी और शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शीरें के आरक्षण प्रतिशत परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन स्तर पर समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

579

(3) ऐसी चीनी मिलें जिनकी अपनी सह आसवनी हैं एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो चीनी मिल सर्वप्रथम शीरा सत्र 2014-15 की समाप्ति पर (दिनांक 31-10-2015 को) अवशेष अनारक्षित शीरे (शीरा सत्र 2014-15 में समूह की चीनी मिलों मे अनारक्षित शीरे की अवशेष मात्रा जिस पर आरक्षण नहीं लिया गया) एवं वर्ष 2015-16 मे उत्पादित शीरे (कुल उपलब्धता) का 25 प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेंगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा 25 प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे का आवंटन हेतु आसवनी द्वारा आवेदन करने पर पेराई कार्य की समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुये (अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक) की गयी आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन पर आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक के प्रस्ताव पर विचार कर शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

(4) देशी मदिरा के निर्धारित एम0जी0क्यू0 की प्रतिमाह आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आरक्षित शीरे के उठान हेतु आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

(i) 25 प्रतिशत शीरा आरक्षण की स्थिति में सम्पूर्ण शीरा वर्ष के लिये आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:3 होगा।

(ii) इसकी गणना प्रत्येक निकासी के लिये नहीं बल्कि पूरे माह में की गई सम्पूर्ण निकासी पर की जायेगी।

(5) माह के अन्त में चीनी मिलों के लिये शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1:3 का अनुपात बनाये रखना निम्नलिखित व्यवस्था के अन्तर्गत देय सुविधा के साथ बाध्यकारी होगा:-

(i) प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु वर्तमान में प्रचलित विक्रय/टेण्डर प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्येक माह के प्रारम्भ में टेण्डर आमंत्रित करेंगी। यह टेण्डर उत्तर प्रदेश में प्रचार-प्रसार रखने वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, जिसकी प्रति शीरा नियंत्रक, सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन एवं जिला आबकारी अधिकारी को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से/पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी।

(ii) यदि मिल द्वारा किये गये टेण्डर के सापेक्ष कोई ऑफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नहीं होता है, जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा(1:3 के निकासी के अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 25 प्रतिशत की मात्रा स्वतः कम हो जायेगी। आगामी माह में

इस प्रकार परिवर्तित की गयी मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्री सेल शीरे की मात्रा जो पिछले माह में न बिकी हो, को विक्रय/उठान किये जाने हेतु मिल स्वतंत्र होंगी, जिस पर 1:3 (यथा स्थिति) का अनुपात लागू नहीं होगा।

(D) आगामी माहों हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (25 प्रतिशत) की गणना बिन्दु-बी के अनुसार परिवर्तित किये गये शीरे की मात्रा को घटाने के उपरान्त किया जायेगा।

(6) चीनी मिलें देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आरक्षित शीरे का विक्रय/सम्भरण उक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप कराते हुये तदनुरूप निर्धारित अनुपात को दुरूस्त करना सुनिश्चित करेंगी।

(7) शीरा वर्ष 2015-16 में अनुपात अनुरक्षण की मासिक समीक्षा की जायेगी।

(8) उपरोक्तानुसार अनुपात इस शर्त के साथ निर्धारित किया जायेगा कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथास्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि अनुपात में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर समस्त तथ्यों पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(9) चीनी मिलों में पेराई के दौरान निर्धारित अनुपात में शीरा विक्रय न कर सकने तथा मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण शीरा ओवरफ्लो होकर नष्ट होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। शीरा वर्ष 2015-16 में यदि कहीं शीरा टैंक के लीकेज होने, ओवरफ्लो होने, आटोकम्बश्चन की स्थिति व अन्य कोई आकस्मिकता/अपरिहार्यता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे शीरे की गुणवत्ता/मात्रा की हानि होने की सम्भावना बन जाती है और शीरे के सुरक्षित भण्डारण के उद्देश्य से चीनी मिलों से प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव के दृष्टिगत अस्थायी तौर पर शीरा अनुपात में शिथिलीकरण के प्रकरणों को विचार कर संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और समिति द्वारा की गई संस्तुति पर मा० आबकारी मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(10) समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति शीरा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त करके समूह की एक या एकाधिक चीनी मिलों से कर सकेंगी, परन्तु यदि इससे देशी मदिरा की आपूर्ति बाधित होगी तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(11) शीरा सत्र 2014-15 की समाप्ति पर आरक्षित शीरे की अवशेष मात्रा को बफर स्टाक के रूप में रखा जायेगा। उक्त बफर स्टाक का उपभोग शीरा सत्र 2014-15 में अनारक्षित शीरे से

578

की गयी देशी मदिरा की आपूर्ति की प्रतिपूर्ति तथा आगामी शीरा सत्र के प्रारम्भिक माहों जब पेराई कार्य नहीं होता है, में आरक्षित शीरे के रूप में किया जायेगा।

(12) विगत शीरा वर्ष 2014-15 की भांति शीरा वर्ष 2015-16 में सामान्यतः शीरा निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा, किन्तु शीरे की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने पर राजस्वहित में उसके निर्यात के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक की सुविचारित संस्तुति प्राप्त होने पर शीरा निर्यात की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति द्वारा संस्तुत किये जाने पर मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। शीरा निर्यात हेतु उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। उसे प्रशासनिक शुल्क रू0 15/ प्रति कुण्टल की दर से शीरा निर्यात किया जायेगा। उक्त दशा में उत्तराखण्ड राज्य से एम0ओ0यू0 की आवश्यकता नहीं होगी।

शीरा नीति वर्ष 2014-15 की भांति वर्ष 2015-16 में भी अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाती है।

(13) शीरा नीति 2014-15 की भांति शीरा वर्ष 2015-16 में भी अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से प्रदान करने एवं शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ आयात/निर्यात की अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाती है।

(14) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा नीति 2014-15 की भांति शीरा वर्ष 2015-16 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिये रू0 11/ प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0 15/ प्रति कुण्टल यथावत् रखने एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0 11/ प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/ प्रति कुण्टल को यथावत् बनाये रखा जाता है।

(15) शीरा वर्ष 2015-16 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है(अन्तर इकाई हस्तानान्तरण) तो इसके लिये शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) शीरा नीति 2014-15 की शीरा सत्र की समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर अवशेष अविक्रीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फ्री-सेल में विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुये शासन को सन्दर्भित करने एवं

उस पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था को शीरा वर्ष 2015-16 में निम्नवत् रखा जाता है:-

"शीरा सत्र 2015-16 की समाप्ति पर अवशेष आरक्षित शीरे के निस्तारण हेतु उपलब्धता/आवश्यकता के दृष्टिगत यथोचित समय पर बफर स्टाक में रखे गये आरक्षित शीरे के अतिरिक्त अवशेष अविक्रीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा अनारक्षित शीरे के रूप में विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुये शासन को सन्दर्भित किया जायेगा, जिस पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।"

(17) खाण्डसारी शीरे की आड. में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की सम्भावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा सिविल अपील संख्या-4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में शीरा वर्ष 2014-15 की भांति शीरा वर्ष 2015-16 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।

(18) शीरा नीति वर्ष 2014-15 की भांति वर्ष 2015-16 में भी प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था लागू किया जाना तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक स्तर से जारी करने की व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाती है।

(19) विगत शीरा नीति 2014-15 की भांति शीरा नीति वर्ष 2015-16 में यह व्यवस्था की जाती है कि शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के निर्णयोपरान्त शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है, तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। चीनी मिल के संदर्भ में रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करने एवं उससे सम्बन्धित मा0 बी0आई0एफ0आर0 का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध कराने की बाध्यता आवेदक चीनी मिल की होगी।

(20) शीरा नीति वर्ष 2014-15 की भांति वर्ष 2015-16 में भी प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयो जैसे यीस्ट, पशुआहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 की धारा-7 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर

577

स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में शीरे की उपलब्धता, वास्तविक आवश्यकता तथा लोकहित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अंतर्गत समय-समय पर शीरे की उपलब्धता, आवश्यकता एवं सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा आवंटित किया जायेगा। आवेदक इकाईयों की 20 हजार कुण्टल से अधिक की क्षमता वृद्धि/निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर शासन स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

(21) शीरा वर्ष 2014-15 की भांति शीरा वर्ष 2015-16 में भी यदि कोई देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई०एन०ए० देशी मदिरा निर्माण के लिये प्राप्त करेगी तो ऐसी ई०एन०ए० (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गई ई०एन०ए० की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति ई०एन०ए० प्राप्त करने वाली आसवनी को आवंटित आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित करके उपलब्ध करायी जायेगी।

(22) शीरा नीति 2015-16 के उक्त प्राविधान चीनी मिलों में उत्पादित होने वाले बी-हैवी मोलासेस के सम्बन्ध में भी यथावत् लागू होंगे।

(23) शीरा नीति में विचलन के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु शीरा वर्ष 2014-15 के समान शीरा नीति वर्ष 2015-16 में भी यह व्यवस्था होगी कि शीरा नीति के किसी बिन्दु से विचलन के प्रकरण में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जाएगी, जिसके संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति विचार करके अपनी संस्तुति करेगी और उस पर अन्तिम निर्णय मा० आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा। शीरा नीति 2014-15 की भांति शीरा वर्ष 2015-16 में भी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में शीरा विचलन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त। -अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि। -सदस्य

(3) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि। -सदस्य

(4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि। - सदस्य

(5) प्रमुख सचिव/सचिव आबकारी विभाग - सदस्य/संयोजक

(24) शीरा नीति 2015-16 मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0 (सी) संख्या-29016/2012 मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्री लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(25) यह शीरा नीति वर्ष 2015-16 तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2016-17 के लिये शीरा नीति घोषित/लागू नहीं कर दी जाती है।

भवदीय,
(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

सं0- 4999-5303 / दस-शीरा / शीरा नीति / 2015-16 / दिनांकःइलाहाबादः जून 25 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ ।
2 गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- समस्त सयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त उप आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार अनुपात की समीक्षा करना सुनिश्चित करें ।
5- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय ।
6 समस्त जिला आबकारी अधिकारी, मुख्यालय ।
7- समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
8- उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश कानपुर नगर ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।
10-- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लि0, लखनऊ ।
11- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आसवक संघ पी0एच0डी0 हाउस आपोजिट एशियन गेम्स विलेज नई दिल्ली ।
12- सचिव, यू0पी0 आबिदा, रोहतास गोल्फ लिंक अपार्टमेन्ट 98 पार्क लखनऊ ।
13- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लखनऊ ।
14 समस्त आसवनियाँ/इकाईयाँ उत्तर प्रदेश ।

25/6/16
(भवनाथ)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।